पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा छापड़ा के खाता संख्या 314 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से राजीनामा व इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 क्रमाशः लक्ष्मी, निरमा व बिन्दु ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी कुनाराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 668 रकबा 11.6468 हैक्टेयर पूरा एवं खेत खसरा नम्बर 847 रकबा 0.3723 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 झूमरराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 581 रकबा 32779 हैक्टेयर पूरा एवं खेत खसरा नम्बर 635/1 रकबा 0.1781 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा यथावत रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 क्रमाशः लक्ष्मी, निरमा व बिन्दु के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटी जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ)
जायल– जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.6.22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ)
जायल– जिला नागौर

Scanned with CamScanner